न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰
प्रकरण संख्या 29 / 2024 (उदयपुर डिक्री)

1. खेमराज पिता भैरूलाल उर्फ भेराजी डांगी, निवासी कानपुर, उदयपुर।
2. लक्ष्मीलाल पिता भैरूलाल डांगी, निवासी कानपुर, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. विश्वास बिल्ड एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय न्याय मार्ग, कोर्ट चौराहा, उदयपुर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता विजय जैन पिता छोगालाल जी जैन, निवासी भूपालपुरा, उदयपुर (राज.)
2. चिराग पिता शान्तिलाल जी मारू, निवासी 13–14, भाण बाग, न्यू फतहपुरा, उदयपुर (राज.)
3. पियुष पिता शान्तिलाल जी मारू, निवासी 13–14, भाण बाग, न्यू फतहपुरा, उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती सोनाली पत्नी पियुष जी मारू, निवासी 13–14, भाण बाग, न्यू फतहपुरा, उदयपुर (राज.)
5. नोजी पिता भैरूलाल डांगी, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दिनांक
20.03.2024 प्रकरण संख्या 93 / 2020

———/———

उपस्थित :– 1– श्री कल्पित जैन अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अभि.रे.सं. 1 से 4
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 07–08–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 4 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम खेड़ा कानपुर में आराजी नंबर 13, 14 किता 2 रकबा 12.5900 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार हैं। इन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:50:58 IST
Reason: SelfAttested

आराजियात का विधिक विभाजन किया जाना आवश्यक है, लेकिन प्रतिवादीगण इंकार करते हैं। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में स्वतंत्र अंकन कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 59 खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर घोषणा का प्रतिदावा प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 59 साबिक खाते अनुसार 1/21 हिस्से का खातेदार था, जबकि वर्तमान में 1/63 हिस्सा ही दर्ज है, जो बिना किसी अधिकार के है। अतः प्रतिवादी संख्या 59 को 1/21 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाने का निवेदन किया।

अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 59 के अधिवक्ता की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 20–03–2024 से प्रतिवादी संख्या 59 का प्रतिदावा खारिज करते हुए वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर विवादित आराजी नंबर 2073 रकबा 12.5500 हैक्टर के विभाजन बाबत् प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 70/2 व 70/3 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 13–05–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि प्रकरण में साक्ष्य नहीं ली गयी हैं एवं न ही तनकियां कायम की गयी है, जबकि प्रतिवादी संख्या 59 द्वारा खण्डन का जवाबदावा एवं प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया था। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण में तनकियात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय ने नोजी बनाम सरकार का हवाला देते हुए प्रकरण संख्या 50/2020 का पालना करने एवं उसी अनुसार विभाजन योजना बनाने का आदेश [illegible] किया, जो त्रुटि पूर्ण है। अपीलान्टगण की कभी भी तामील नहीं हुई [illegible] के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:50:58 IST
Reason: SelfAttested

तामिल मानकर अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए बिना साक्ष्यों का अवलोकन किये एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार ही विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में विवादित आराजी नंबर 2073 रकबा 12.5500 हैक्टर एवं आराजी नंबर 2124 रकबा 0.0400 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 12.5900 हैक्टर वादी एवं प्रतिवादीगण के सहखातेदारी में दर्ज है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 अनुसार प्रत्येक सहखातेदार को अपनी सहखातेदारी भूमि का विभाजन कराने का अधिकार है। वादीगण द्वारा अपने इन्हीं अधिकारों के तहत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने आराजी नंबर 2124 की किस्म प्रतिबंधित श्रेणी की होने के आधार पर उसका बंटवारा किया जाना उचित नहीं मानते हुए सिर्फ आराजी नंबर 2073 रकबा 12.5500 हैक्टर बाबत् वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 20–03–2024 यथावत रखी जाती है। तहसीलदार गिर्वा उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री की पालना 20 दिवस में सुनिश्चत करावें। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 07–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:50:58 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

खेमराज पिता भैरूलाल उर्फ भेराजी डांगी, निवासी कानपुर उदयपुर व अन्य	बनाम	**विश्वास बिल्ड एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय न्याय मार्ग, कोर्ट चौराहा, उदयपुर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता विजय जैन पिता छोगालाल जैन, निवासी भूपालपुरा, उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**29 / 2024**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....20**.....माह.....**03**.....**2024**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**07**....माह.....**08**....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान**
व हाजरी.....**श्री कल्पित जैन**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री हनुमान प्रसाद शर्मा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 20–03–2024 यथावत रखी जाती है। तहसीलदार गिर्वा उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री की पालना 20 दिवस में सुनिश्चत करावें।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**07**.....माह.....**08**.....**2024**
को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:50:58 IST
Reason: SelfAttested

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का वकील का खर्चा अपील का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।